श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा दिनांक 19.04.2019 को बक्सर अनुमण्डल मुख्यालय में बक्सर विधानसभा एवं राजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी सेक्टर पदाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी के साथ निर्वाचन से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – पंजी के अनुसार ।

बक्सर अनुमण्डल मुख्यालय में बक्सर एवं राजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, सेक्टर पदाधिकारी, फ्लाईंग स्कावयड टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम के साथ आगामी लोक सभा चुनाव 2019 की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक किया गया और इस क्रम में निम्न निदेश दिये गये –

1. सभी सेक्टर पदाधिकारी भेद्य/अभेद्य मतदान केन्द्रों के पास रहने वाले **8-10** व्यक्तियों का नाम एवं मोबाईल नं0 रखेंगे ताकि मतदान के दिन उनसे गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकें।
2. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सेक्टर पदाधिकारियों के द्वारा निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रों पर भयादोहन करने वालों की कम संख्या प्रतिवेदित किया गया है। निदेशित किया गया कि भयादोहन अथवा अन्य गलत तरीको से मतदाताओं को प्रभावित करने वाले असमाजिक तत्वों को अधिकाधिक संख्या में चिन्हित कर मतदान केन्द्रवार सूची प्रतिवेदित करेंगे ताकि ऐसे व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा सके।
3. सभी सेक्टर पदाधिकारियों को संवेदनशील बूथों की सूची कारण सहित प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया ।
4. सभी सेक्टर पदाधिकारियों को मतदान केन्द्र पर जाने हेतु रूट की स्पष्ट जानकारी रखने का निदेश दिया गया।
5. बक्सर एवं राजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक लोकेशन के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों को चिन्हित करने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सेक्टर पदाधिकारी को दिया गया ताकि उसके अनुसार PCCP दल का गठन किया जा सके। निदेशित किया गया कि लोकेशन के अंतर्गत चिन्हित मतदान केन्द्रों पर किस प्रकार के वाहन सुगमतापूर्वक पहुँच सकते हैं, PCCP का वाहन किस स्थान से टर्न लेकर अन्य मतदान केन्द्र के लिए रवाना होगा तथा PCCP किस स्थान पर स्टैटिक रहेंगे इस संबंध में भी प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर को निदेशित किया गया कि दिनांक 21.04.2019 तक PCCP का मतदान केन्द्रवार सूची तैयार कर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई मतदान केन्द्र ऐसे हैं जो अलग–अलग सेक्टर पदाधिकारियों के अधीन आते हैं, परन्तु वे एक ही PCCP के साथ टैग है। निदेशित किया गया कि ऐसे स्थिति में दोनों सेक्टर पदाधिकारी PCCP रूट का सत्यापन सुनिश्चित कर लेंगे।
7. अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया कि बक्सर एवं राजपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी सेक्टर पदाधिकारी से PCCP रूट का सत्यापन सुनिश्चित करायेंगे।
8. सभी थानाध्यक्षों को निदेशित किया गया कि जिन शस्त्र लाईसेन्सधारियों के द्वारा अपने शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया गया है उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव समर्पित करेंगे।
9. सभी थानाध्यक्ष को निदेशित किया गया कि जिनके विरूद्ध **CCA** पारित हो गया है उन्हें प्रतिदिन थाना में हाजिरी लगाने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे तथा हाजिरी बनाने हेतु थाना में एक कर्मी पंजी के साथ प्रतिनियुक्त करेंगे।
10. बंध पत्र भरवाने के दौरान मूल कागजात प्राप्त कर प्राप्ति रसीद देने तथा कम से कम **50** हजार रू0 से अधिक का बंध पत्र भरवाना सुनिश्चित करेंगे।

11. बक्सर जिला से सटे दूसरे राज्य के सीमावर्ती जिला तथा इस राज्य के अन्य जिले जो बक्सर से सटे हुये हैं उस थाना क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों को विशेष सतर्कता बरतने का निदेश दिया गया।

12. एस0 एस0 टी0 टीम की प्रतिनियुक्ति जिस चेकपोस्ट पर की गयी है वे वहाँ उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें, इसे अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे।

13. शराब विनिष्टिकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई ली0 शराब अभी भी संबंधित थानों में विनिष्टिकरण हेतु रखा हुआ है। थानाध्यक्षों को निदेशित कि विनिष्टिकरण का प्रस्ताव अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें ताकि शराब के विनिष्टिकरण हेतु आदेश पारित किया जा सके ।

जिला पदाधिकारी
–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
बक्सर ।

ज्ञापांक 0.1364/गो0, दिनांक 22 - 4 . 19

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा सभी पुलिस पदाधिकारी/सभी सेक्टर पदाधिकारी / सभी स्टैटिक सर्विलांस टीम/सभी फ्लाईंग स्कावयड टीम, बक्सर एवं राजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप निर्वाचन पदाधिकारी, बक्सर/सभी कोषागों के नोडल पदाधिकारी/सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. Sign 22/04/19

जिला पदाधिकारी
–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
बक्सर ।